रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102023-249261
CG-DL-E-07102023-249261

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 682] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 5, 2023/आश्विन 13, 1945
No. 682] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 5, 2023/ASVINA 13, 1945

भारत अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2023

फा. सं. ए-60011/117/2023-प्रशासन(एआर)-आईआईएसी.—भारत अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र, भारत अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 (2019 का 17) की धारा 31 की उपधारा (2) के उपखंड (ग) और उपखंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की रीति और शक्तियां तथा कृत्य) विनियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) ''अधिनियम'' से भारत अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 अभिप्रेत है ;

(ख) ''केंद्र'' से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित और निगमित भारत अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अभिप्रेत है ;

(ग) ''मुख्य कार्यकारी अधिकारी'' से अधिनियम की धारा 21 के अधीन नियुक्त किया गया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है ।

(2) उन अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमश: वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में हैं ।

3. नियुक्ति प्राधिकारी.- केन्द्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होगा ।

4. वेतन और भत्ते.- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वेतन मेट्रिक्स में स्तर-15 (182200-224100रु) का वेतन और अन्य भत्ते और फायदे प्राप्त करेगा, जो केन्द्रीय सरकार के समान वेतन वाला पद धारण करने वाले अधिकारी को अनुज्ञेय है ।

5. भर्ती की पद्धति.- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों, आदेशों और अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा या आमेलन द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) नियुक्त किया जाएगा ।

6. पात्रता मानदंड.- (1) सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित मानदंड पूरे करने होंगे, अर्थात:-

(i) आयु सीमा: पैंतालीस वर्ष से कम नहीं हो;

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अधिमानत: विधि या प्रबंधन या अर्थशास्त्र या लोक प्रशासन में स्नातक डिग्री धारण करता हो;

(iii) विधि के क्षेत्र में; या प्रबंधन या प्रशासन या वित्त, अधिमानत: माध्यस्थम् के क्षेत्र में न्यूनतम बीस वर्ष का पश्च-अर्हता अनुभव हो ।

(2) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या न्यायालयों या अधिकरणों या स्वायत्त निकायों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के अधिकारी, जिनकी पैंतालीस वर्ष से कम की आयु न हो, और-

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण करते हों; और

(ii) जिन्होंने भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य पद न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए धारण किया हो और जो प्रशासन या विधि के क्षेत्र में, अधिमानत: माध्यस्थम् के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव रखते हों; और

(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अधिमानत: विधि या प्रबंधन या अर्थशास्त्र या लोक प्रशासन में स्नातक डिग्री धारण करता हो,

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

7. नियुक्ति की अवधि.- (1) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(2) प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की दशा में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(3) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पदावधि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए लागू आदेशों और अनुदेशों के अनुसार बढ़ाई जा सकेगी ।

(4) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए या साठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परंतु वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

8. नियुक्ति के लिए प्रक्रिया.- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों, आदेशों और अनुदेशों का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए अनुसरण किया जाएगा ।

9. आमेलन.- इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति आमेलन के लिए विचार किए जाने का पात्र नहीं होगा ।

10. अनुशासनिक कार्यवाहियां.- मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां केन्द्रीय सरकार के तत्स्थानी वेतनमान में समूह क से संबंधित अधिकारियों पर लागू नियमों और विनियमों के अनुसार होगी ।

11. वास-सुविधा.- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उस समान दर पर मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा, जो उन स्थानों पर तत्स्थानी वेतनमान में पद धारण करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारियों को अनुज्ञेय है ।

12. सेवा शर्तें—(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सेवा शर्तें, वेतन, भत्ते, छुट्टी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता, पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदे, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य सेवा शर्त के मामले ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होंगे जो केंद्रीय सरकार में तत्स्थानी वेतनमान में समूह 'क' से संबंधित अधिकारियों को समय-समय पर लागू हैं ।

(2) उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लागू होंगी ।

13. निरर्हता : वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियां और कृत्य—मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निम्नलिखित कृत्य और शक्तियां होंगी, जो केंद्र के परामर्श से प्रयुक्त की जाएंगी, अर्थात् :--

(i) केंद्र का दैनिक प्रशासन;

(ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी का केंद्र के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा;

(iii) मानव संसाधन प्रबंधन जैसे रिक्तियों का भरा जाना, प्रोन्नति, वेतन नियत करना;

(iv) केंद्रीय सरकार और सचिवालय के साथ समन्वय करना;

(v) साधारण वित्तीय नियम, 2017 और समय-समय पर जारी केंद्रीय सरकार के अन्य दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुसार ही केंद्र के लिए माल और सेवा उपापन करना;

(vi) प्रसुविधा प्रबंधन (भवन, अनुरक्षण, उपस्कर और यानों को किराए पर लेना);

(vii) वार्षिक लेखा, राजस्व और व्यय विवरण तैयार करना तथा केंद्र का बजट निष्पादन, नियमित मानीटरी और प्राप्ति और व्यय का पुनरीक्षण करना;

(viii) केंद्र की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, जिसमें पूर्ववर्ष के दौरान केंद्र के सभी क्रियाकलाप आते हों, केंद्र के वार्षिक लेखा तैयार करना और समय-समय पर जारी अनुदेशों और नीति के अनुसार संसद् के समक्ष रखा जाना सुनिश्चित करना;

(ix) केंद्र के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए सभी उपाय करना;

(x) सरकारी अनुदेशों, नीतियों, दिशानिर्देशों, विशेष रूप से जो उपापन, शिकायत निवारण प्रणाली, सूचना का अधिकार, 2005 (2005 का 22) से संबंधित हैं, का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(xi) अन्य क्रियाकलाप जैसे नवोन्मुखता लाना, केंद्र के कार्य में समानता और पारदर्शिता लाना, केंद्र की ब्रांडिंग करना, केंद्र के क्रियाकलापों का प्रचार करना, केंद्र की मुकदमेबाजी का प्रबंधन करना, आदि;

(xii) ऐसे अन्य कृत्य करना या ऐसी अन्य शक्तियां प्रयोग करना, जो समय-समय पर केंद्र द्वारा समनुदेशित की जाएं ।

15. शिथिल करने की शक्ति : जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

16. अवशिष्ट उपबंध—ऐसे विषय, जिनके संबंध में इन विनियमों के अधीन कोई स्पष्ट उपबंध नहीं बनाए गए हैं, अपने विनिश्चयों के लिए केंद्र द्वारा केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

हेमन्त गुप्ता, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./461/2023-24]

INDIA INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2023

F. No. A-60011/117/2023-Administration(AR)-IIAC. - In exercise of the powers conferred by sub-clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 31 of the India International Arbitration Centre Act, 2019 (17 of 2019), the India International Arbitration Centre hereby makes the following Regulations, namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These regulations may be called the India International Arbitration Centre (Manner of Appointment and Powers and Functions of the Chief Executive Officer) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these regulations unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means India International Arbitration Centre Act, 2019;

(b) "Centre" means the India International Arbitration Centre, established and incorporated under section 3 of the Act;

(c) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer appointed under section 21 of the Act.

(2) The other words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Appointing authority. – The Centre shall be the appointing authority of the Chief Executive Officer.

4. Pay and allowances. - The Chief Executive Officer shall receive pay in the level-15 (Rs.182200-224100) in the pay matrix and other allowances and benefits, as are admissible to the Central Government officer holding the post carrying the same pay.

5. Method of recruitment. – The Chief Executive Officer shall be appointed by direct recruitment or by deputation (including short-term contract) in accordance with the applicable guidelines, orders and instructions issued from time to time by the Department of Personnel and Training in this regard.

6. Eligibility criteria. – (1) For the direct recruitment, the following criteria shall be required to be fulfilled, namely: -

(i) Age-limit: Not less than forty-five years;

(ii) Possessing a Bachelor's degree in Law or Management or Economics or Public Administration or any other subject, from a recognised University or Institute and;

(ii) Minimum twenty years of post-qualification experience in the field of law; or management or administration or finance, preferably in the field of arbitration.

(2) The Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration or Courts or Tribunals or Autonomous bodies or recognised Universities, who are not less than forty-five years of age, and -

(a) (i) holding analogous post on regular basis; or

(ii) holding a post of Joint Secretary to the Government of India or equivalent for a minimum period of two years and having experience of working in areas of administration or law, preferably in the field of arbitration; and

(b) possessing a Bachelor's degree in Law or a degree in Management or Economics or Public Administration or any other subject, from a recognised University or Institute,

shall be eligible for appointment on deputation.

7. Term of appointment. – (1) The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not be exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

(2) In case of appointment on deputation basis, the term of appointment of the Chief Executive Officer shall not ordinarily exceed three years.

(3) The term of the Chief Executive Officer appointed on deputation may be extended in accordance with the applicable orders and instructions issued from time to time by the Department of Personnel and Training.

(4) In case of appointment by direct recruitment, the term of appointment of the Chief Executive Officer shall be for a maximum period of three years or till attaining the age of sixty years, whichever is earlier, provided that he shall be eligible for reappointment.

8. Procedure for appointment. - The guidelines, orders and instructions issued by the Department of Personnel and Training from time to time shall be followed for appointment to the post of Chief Executive Officer.

9. Absorption. - Notwithstanding anything in these regulations, the persons appointed as Chief Executive Officer, shall not be eligible to be considered for absorption.

10. Disciplinary proceedings. - The disciplinary proceedings against the Chief Executive Officer shall be as per rules and regulations applicable to officers belonging to Group A in the corresponding scales of pay of the Central Government.

11. Accommodation. - The Chief Executive Officer shall be entitled to a house rent allowance at the same rate, as are admissible to officers of Group 'A' of the Central Government holding the post in corresponding scale of pay, stationed at those places.

12. Conditions of service. – (1) The conditions of service of the Chief Executive Officer in the matters of pay, allowances, leave, provident fund, age of superannuation, pension and retirement benefits, medical facilities and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to officers belonging to Group 'A' in corresponding scales of pay in the Central Government.

(2) The conditions of service referred to in sub-regulation (1) shall also apply to the Chief Executive Officer appointed by direct recruitment.

13. Disqualification. —No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

14. Powers and functions of Chief Executive Officer. - The Chief Executive Officer shall have the following functions and powers, which would be exercised in consultation with the Centre, namely: -

(i) the day-to-day administration of the Centre;

(ii) the Chief Executive Officer shall have administrative control over the officers and other employees of the Centre;

(iii) human resource management like filling up of vacancies, promotion, pay fixation;

(iv) coordinating with the Central Government and the Secretariat;

(v) procurement of goods and services for the Centre strictly as per the provisions of General Financial Rules, 2017 and other guidelines of the Central Government issued from time to time;

(vi) facility management (Maintenance of building, hiring of equipment and vehicles)

(vii) the preparation of the annual accounts, statement of revenue and expenditure and the execution of the budget of the Centre, regular monitoring and reviewing of expenditure and receipts;

(viii) preparation of annual report of the Centre covering all activities of the Centre during the previous year, preparation of annual accounts of the Centre and ensuring laying in the Parliament as per the policy and instructions issued from time to time;

(ix) all steps to promote the objectives of the Centre;

(x) ensuring compliance of Government instructions, policies, guidelines particularly those relating to procurement, grievance redressal mechanism, Right to Information Act, 2005 (22 of 2005);

(xi) other activities like bringing innovation, equity and transparency in the working of the Centre, branding of the Centre, publicity of the activities of the Centre, management of litigation of the Centre etc;

(xii) performing such other functions, or exercising such other powers, as may be assigned by the Centre from time to time.

15. Power to relax. -Where the Centre is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons with the prior approval of the Central Government.

16. Residuary provisions. - Matters with respect to which no express provision has been made under these regulations shall be referred by the Centre to the Central Government for its decision.

HEMANT GUPTA, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./461/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.07 15:30:47 +05'30'